रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 1992/भाद्र 26, 1914
No. 613] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1992/BHADRA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1992

का.आ. 693(अ):—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के उप-महानिदेशक (उद्यान कृषि) डा.के.एल. चड्ढा को रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की तारीख 31 अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1. डॉ. के. एल. चड्ढा,
उपमहानिदेशक (उद्यान कृषि)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
दिल्ली । अध्यक्ष"

[सं. एफ, 19-7/90—पी.पी. I]
कुंवर राजिन्द्र सिंह, उप-सचिव

स्पष्टीकरण—मूल अधिसूचना राजपत्र में सं. का.आ. 892(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 876(अ) तारीख 16 नवम्बर, 1990 द्वारा संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1992

S.O. 893(E).—In pursuance of Sub-section (1) of Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby appoints Dr. K. L. Chadha, Deputy Director General (Horticulture), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, to be the Chairman of the Registration Committee for that purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) S.O. No. 892(E), dated the 31st October, 1989, namely :—

In the said notification for item "1" and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. Dr. K. L. Chadha,
Deputy Director General (Horticulture),
Indian Council of Agricultural Research,
New Delhi. Chairman"

[No. F-19-7/90-PP. I]
RAJWAR RAJINDER SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published in the Official Gazette vide number S.O. 892(E) dated the 31st October, 1989 and subsequently amended vide Notification No. S.O. 876(E) dated the 16th November,

Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992